

(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटौती प्रस्ताव)

बिहार विधान सभा सचिवालय

(सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र) फरवरी-मार्च, 2021 की कार्यसूची

(खण्ड-01)

दिनांक-01 मार्च, 2021

मॉॅंग संख्या – 01 आय–व्ययक शीर्षक – कृषि विभाग

1. प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि ''कृषि विभाग'' के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 33,35,47,43,000/- (तैंतीस अरब पैंतीस करोड़ सैंतालीस लाख तैंतालीस हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

2-8. श्री विजय शंकर दूबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा, श्री सत्यदेव राम, श्री अख्तरूल ईमान, श्री सुधाकर सिंह एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय। राज्य सरकार की कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 45

आय-व्ययक शीर्षक - गन्ना उद्योग विभाग

9. प्रभारी मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि ''गन्ना उद्योग विभाग'' के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 1,15,95,29,000/- (एक अरब पन्द्रह करोड़ पंचानवे लाख उन्तीस हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

10-13. श्री विजय शंकर दूबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की गन्ना उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

मॉॅंग संख्या - 09

आय-व्ययक शीर्षक - सहकारिता विभाग

14. प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग प्रस्ताव करेंगे कि ''सहकारिता विभाग'' के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 15,34,09,40,000/- (पंद्रह अरब चौतीस करोड़ नौ लाख चालीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

15-17. श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की सहकारिता नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या - 30

आय-व्ययक शीर्षक - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

18. प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि ''अल्पसंख्यक कल्याण विभाग'' के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्त के लिए 5,62,62,87,000/- (पाँच अरब बासठ करोड़ बासठ लाख सतासी हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

19-21. श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

राज कुमार सिंह सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायगा ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2021- // // /

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 🚣 🕻 फरवरी, 2021 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

. नूर्य राय निदेशक.

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2021- // / /

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 🏒 फरवरी, 2021 ई० ।

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(भूदेव राय)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2021- /) ५)

/ वि॰स॰, पटना, दिनांक- 🔼 🕻 फरवरी, 2021 ई॰ ।

प्रति :- सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

भूदेव राय)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना । *र्नाजार* 24 सन्दर्भ